संख्या–15 XXXVI(1)/2011–23–एक(5)/2005

प्रेषक,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव न्याय एवं प्रमुख विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा० उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 9 फरवरी, 2011

विषय– जिला देहरादून व ऊधमसिंहनगर में स्थापित एक–एक स्थायी लोक अदालत में सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त बिषयक शासनादेश संख्या–16XXXVI(1)/2010–23–एक(5)/2005 दिनांक 22 जनवरी,, 2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि जिला देहरादून व ऊधमसिंहनगर में स्थापित एक–एक स्थायी लोक अदालत हेतु सृजित 10 अस्थायी पदों की निरंतरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जायें दिनांक 1.3.2011 से 29.02.2012 तक बढायें जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं उक्त न्यायालयों/पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या–24–एक(5) छत्तीस(1)/2005 23–एक(5)/2005 दिनांक 08नवम्बर, 2005 द्वारा किया गया है।

2– उक्त न्यायालयों के कार्यालय में पद धारण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्ते सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होंगी ।

3– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक के अनुदान से संख्या–04 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक " 2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–10–स्थायी लोक अदालत–00" के अर्न्तगत सुसगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

4– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–1270/76–दस, दिनांक 20 जुलाई 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 7.11.92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अर्न्तगत प्रसारित किये जा रहे हैं।

5– उक्त के साथ ही वित्त (वे०आ०–सा०नि०) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–118 (1)/**XXVii** (7)/2006, दिनांक 31 अगस्त, 2006 की छायाप्रति इस अनुरोध के संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त पदों के स्थायीकरण के संबंध में शासनादेश में उल्लिखित 09 बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या सहित पदों के स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।

संलग्नक–यथोपरि ।

भवदीय,

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–15(1)XXXVI(1)/2011–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून ।
2– महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
3– जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून/ऊधमसिंहनगर ।
3– वित्त अनुभाग–5/ कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव ।